उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-101/2016/आर-1354/26-3-2016-4(66)/2015

लखनऊः दिनांकः 03 मई, 2016

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अनियमितता बरतने वाली शिक्षण संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने तथा मान्यता निरस्त कराने, दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने इत्यादि के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की ओर से निर्गत समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2312/26-3-2014, दिनांक-03.12.2014 द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हुये निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

2- निदेशालय, समाज कल्याण की उक्त समिति द्वारा समाज कल्याण निदेशालय के आदेश दिनांक-10.08.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थापित स्वामी विवेकानन्द, सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ को दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अनियमितता बरतने का प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ पाने से वंचित किये जाने हेतु शिक्षण संस्थान को 'ब्लैकलिस्ट' किया गया। निदेशालय, समाज कल्याण के उक्त आदेश दिनांक-10.08.2015 के विरूद्ध उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित प्रत्यावेदन दिनांक-17.08.2015 एवं दिनांक-09.11.2015 प्रस्तुत किया गया। इसी मध्य मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की ओर से निर्गत समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-133/2015/5007/26-3-2015, दिनांक-10.11.2015 द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन की 09 सदस्यीय अपीलीय फोरम का गठन किया गया। अतएव उक्त शिक्षण संस्थान के प्रत्यावेदन/अपील पर विचार किये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक-30.11.2015 द्वारा सम्बन्धित शिक्षण संस्था को नोटिस निर्गत करते हुये अभिलेखों/साक्ष्यों सहित सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक-21.12.2015 को फोरम के समक्ष प्रस्तुत होने के निर्देश दिये गये थे। उक्त तिथि को फोरम की बैठक सम्पन्न हुयी। अपीलीय फोरम की उक्त बैठक में सम्बन्धित विभागो के प्रतिनिधियों के साथ-साथ शिक्षण संस्था की ओर से श्री सुदीप सिंह, निदेशक, सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ एवं विश्वविद्यालय के ट्रस्टी श्री अतुल कृष्ण भी उपस्थित हुये। अपीलीय फोरम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन में यह पाया गया कि निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा शिक्षण संस्थान को निम्नलिखित मुख्य आरोपों में 'ब्लैकलिस्ट' किया गयाः-

<u>आरोप संख्या-1</u>

स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम में शुल्क निर्धारण की शक्ति प्राप्त थी। दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अनुसार जिन संस्थाओं को पाठ्यक्रम में शुल्क निर्धारण की शक्ति स्वयं में निहित है, ऐसी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को नियमावली में अंकित व्यवस्थानुसार अन्तिम वरीयता श्रेणी-'च' में होना चाहिये था, किन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नियमावली में अंकित व्यवथाओं की अवहेलना करते हुये छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र वरीयता श्रेणी-'ग' (फ्री सीट) के अन्तर्गत भराये गये जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अनियमित तरीके से प्राप्त कर ली गयी जबकि सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में वरीयता श्रेणी-'च' से आच्छादित किसी भी संस्थान/विश्वविद्यालय को धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। संस्था द्वारा नियमों के विपरीत छात्रवृत्ति वरीयता श्रेणी का अंकन कराकर श्रेणी-'ग' एवं श्रेणी-'घ' के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त की गयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आरोप संख्या-2

शिक्षण संस्थान द्वारा बदनीयती से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने के उददेश्य से निम्नलिखित छात्र-छात्राओं का डाटा एक ही शैक्षिक वर्ष में एक से अधिक पाठ्यक्रमों में दो या तीन बार सत्यापित कर अग्रसारित किया गयाः-

(i)-श्री मनोज कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल, अनुसूचित जाति छात्र जिसका हाईस्कूल रोल नम्बर-00338324 वर्ष-1997 के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में उक्त संस्थान में बी0एस0सी0 बायोटेक प्रथम वर्ष में आवेदन किया, इसके उपरान्त इस छात्र द्वारा इस कोर्स को बिना पूर्ण किये शैक्षणिक वर्ष 2012-13 में बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु डाटा अग्रेसित किया गया एवं धनराशि प्राप्त की गयी। संस्थान द्वारा बिना एक कोर्स पूर्ण किये दूसरे कोर्स में उसी छात्र को प्रवेश देकर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र के आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी।

(ii)-.श्री सचिन त्यागी पुत्र श्री अरविन्द प्रकाश त्यागी, जाति-सामन्य वर्ग, हाईस्कूल रोल नम्बर-00375366, वर्ष-2001 के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में उक्त संस्थान में एम0बी0ए0 प्रथम वर्ष में सामान्य जाति के छात्र के रूप में एक ही वित्तीय वर्ष में तीन बार आवेदन किया, जिसे संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु डाटा अग्रेसित किया गया एवं धनराशि प्राप्त की गयी। संस्थान में एक ही कोर्स में एक ही छात्र एक शैक्षणिक वर्ष में तीन बार आवेदन किया गया, संस्थान द्वारा बिना सम्यक जांच किये छात्र का आवेदन पत्र तीन बार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अग्रसारित कर धनराशि के गबन का प्रयास किया गया।

(iii)-.कु0 अरनिका रावत पुत्री श्री शमसेर सिंह रावत, जाति-सामान्य वर्ग, हाईस्कूल रोल नम्बर-00384086, वर्ष-2004 के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में इस संस्थान में बी0लिब प्रथम वर्ष में सामान्य जाति के छात्र के रूप में एक ही वित्तीय वर्ष में दो बार आवेदन किया, जिसे संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु डाटा अग्रेसित किया गया एवं धनराशि प्राप्त की गयी। संस्थान में एक ही कोर्स में एक ही छात्र एक शैक्षणिक वर्ष में दो बार आवेदन किया गया, संस्थान द्वारा बिना सम्यक जांच किये छात्र का आवेदन पत्र दो बार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अग्रसारित कर धनराशि के गबन का प्रयास किया गया।

(iv)-.कु0 शोभा यादव पुत्री श्री हरिप्रसाद यादव, जाति-अन्य पिछड़ा वर्ग, हाईस्कूल रोल नम्बर-635893, वर्ष-2000 के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में इस संस्थान में डी0एम0आर0टी0 प्रथम वर्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रा के रूप में तथा इसी शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में इसी संस्थान में जी0एन0एम0 प्रथम वर्ष के छात्रा के रूप में संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु डाटा अग्रेसित किया गया एवं धनराशि प्राप्त की गयी। इस प्रकार संस्थान में अलग-अलग कोर्सों में एक ही छात्रा ने एक ही शैक्षणिक वर्ष में दो बार आवेदन किया एवं संस्थान द्वारा बिना सम्यक जांच किये छात्रा का दो अलग-अलग कोर्सो में आवेदन पत्र छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अग्रसारित कर धनराशि अनियमित रूप से प्राप्त की गयी।

(v)-.कु0 पूनम बालियान पुत्री श्री सत्येन्द्र कुमार, जाति-अन्य पिछड़ा वर्ग, हाईस्कूल रोल नम्बर-524427, वर्ष-2007 के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में इस संस्थान में ओ0टी0टी0 प्रथम वर्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रा के रूप में तथा इसी शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में इसी संस्थान में बी0फार्मा प्रथम वर्ष के छात्रा के रूप में संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु डाटा अग्रेसित किया गया एवं धनराशि प्राप्त की गयी। इस प्रकार संस्थान में अलग-अलग कोर्सों में एक ही छात्रा ने एक ही शैक्षणिक वर्ष में दो बार आवेदन किया एवं संस्थान द्वारा बिना सम्यक जांच किये छात्रा का दो अलग-अलग कोर्सों में आवेदन पत्र छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अग्रसारित कर धनराशि अनियमित रूप से प्राप्त की गयी।

(vi)-.रोहित गोस्वामी पुत्र श्री एम0 गोस्वामी, जाति-अन्य पिछड़ा वर्ग, हाईस्कूल रोल नम्बर-2706046, वर्ष-2003 के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में इस संस्थान में एम0बी0ए0 प्रथम वर्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र के रूप में तथा इसी शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में इसी संस्थान में एम0बी0ए0 द्वितीय वर्ष के छात्र के रूप में संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु डाटा अग्रेसित किया गया एवं धनराशि प्राप्त की गयी। इस प्रकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्थान में एक ही कोर्स के अलग-अलग वर्षों हेतु एक ही छात्र ने एक ही शैक्षणिक वर्ष में दो बार आवेदन किया एवं संस्थान द्वारा बिना सम्यक जांच किये छात्र का एक ही कोर्स के अलग-अलग वर्षों हेतु आवेदन पत्र छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अग्रसारित कर धनराशि अनियमित रूप से प्राप्त की गयी।

3- विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा अपीलीय फोरम की उक्त बैठक दिनांक-21.12.2015 में अपना लिखित जबाब/उत्तर दिनांक-19.12.2015 फोरम के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोप संख्या-1 के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था द्वारा यह उल्लेख किया गया कि शैक्षिक सत्र 2013-14 में आन-लाइन दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में पाठ्यक्रम की श्रेणी एवं शिक्षण संस्था की वरीयता श्रेणी का कोई कालम नही था। अतएव छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्था के स्तर से अग्रसारित करते समय उसकी शिक्षण संस्था की वरीयता श्रेणी के सम्बन्ध में प्रविष्टि दिया जाना सम्भव नही था। शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा यह कहा गया कि यह कार्य जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से किया जाना चाहिये था। शिक्षण संस्था अपने बचाव हेतु साक्ष्य रूप में अपने कार्यालय पत्र यू077/एस.वी.एस.यू.2014/4047, दिनांक-09.05.2014, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ को प्रेषित किया गया था, की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी।

विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा दूसरे आरोप (06 छात्रों के छात्रवृत्ति सम्बन्धी डाटा को एक से अधिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत दर्शाते हुये सत्यापित कर अग्रसारित करने) के सम्बन्ध में यह कहा गया कि श्री मनोज कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल ने सत्र 2011-12 में बी0एस0सी0 नर्सिंग में प्रवेश लिया तत्समय साफ्टवेयर में बी.एस.सी. नर्सिंग का कालम न होने से आवेदन करते समय साफ्टवेयर द्वारा स्वयं से बी.एस.सी. बायोटेक्नालाजी में डाटा दर्ज कर दिया जाता था। श्री सचिन त्यागी, कुमारी अरनिका रावत, कु0 शोभा यादव, कु0पूनम बालियान एवं रोहित गोस्वामी इत्यादि का डाटा एवं विवरण एक ही बार अग्रसारित किया गया था। उक्त छात्र की डबल इन्ट्री साफ्टवेयर की त्रुटि से हुयी। शिक्षण संस्था द्वारा यह बताया गया कि उक्त त्रुटि की सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारी को दी गयी थी।

4- अपीलीय फोरम द्वारा शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधियों से उनके कथन के समर्थन में साक्ष्य की मांग किये जाने पर शिक्षण संस्थान द्वारा कतिपय समय की मांग करते हुये यह आश्वासन दिया गया कि वह बैंक से स्टेटमेन्ट निकलवा कर दे सकते है कि उक्त सम्बन्धित छात्रों के खातों में एक ही बार शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त हुयी है तथा शिक्षण संस्थान द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ को सूचना दिये जाने सम्बन्धी पत्र एवं सी0डी0 की प्रति भी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। अतएव उक्त बैठक में अपीलीय फोरम द्वारा शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधियों को बैठक में यह निर्देश दिये गये कि वह सम्बन्धित साक्ष्य/अभिलेख 15 दिन के अन्दर शासन के समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध करायें तथा फोरम के अध्यक्ष द्वारा समाज कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वह संयुक्त टीम गठित कराकर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा जो अभिलेख इंगित किये गये है उनकी जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय मेरठ में प्राप्त होने की पुष्टि तथा सम्बन्धित छात्रों का भौतिक सत्यापन कराकर आख्या शीघ्र फोरम के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

5- उक्त के क्रम में निदेशक, समाज कल्याण के आदेश दिनांक-27.01.2016 द्वारा उपनिदेशक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की अध्यक्षता में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की 04 सदस्यीय समिति गठित की गयी। उक्त गठित समिति द्वारा दिनांक-30.03.2016 एवं दिनांक-31.03.2016 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय मेरठ एवं स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ में रहकर संस्था के रजिस्ट्रार, श्री पी0के0 गर्ग, डा0 आर0पी0सिंह, छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी इत्यादि की उपस्थिति में अभिलेखीय जाँच एवं भौतिक सत्यापन कर आख्या दिनांक-04.04.2016 प्रस्तुत की गयी। जाँच दल द्वारा शिक्षण संस्थान पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में निम्नवत् आख्या दी गयी हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आरोप संख्या-1 के सम्बन्ध में आख्या

यह सत्य है कि छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों में किसी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता था। किन्तु यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्य जाने आनजाने में भरा गया हो तो नियमावली-2012 के प्राविधानों के अनुसार शिक्षण संस्थान का यह दायित्व था कि त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को निरस्त कर पुन नये सिरे आवेदन पत्र भरवाते न कि त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को अग्रसारित किया जाता, इससे स्पष्ट है कि संस्थान द्वारा जान-बूझकर नियमावली के प्राविधानों की अवहेलना करते हुये त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अग्रसारित किये गये। शिक्षा संस्था (विश्वविद्यालय) के पाठ्यक्रम के लिये स्वयं फीस निर्धारण करने का अधिकार था स्ववित्तपोषित थी, इस आधार पर नियमावली में वर्णित वरीयता के क्रम में वरीयता श्रेणी 'च' के अन्तर्गत संस्था आती थी। संस्था द्वारा नियमावली में उल्लिखित निर्देशों को अनदेखा करते हुये संस्था में अध्ययनरत पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्रों में जिसमें पाठ्यक्रम का प्रकार (फ्री सीट/नियमित) श्रेणी 'ग' अथवा 'घ' में परिवर्तित कर दिया गया, को शिक्षा विभाग के अधिकारी लागिन आई0डी0 पर अग्रसारित कर दिया गया। जबकि नियमावली में वर्णित व्यवस्था के अनुसार समस्त त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों का सत्यापन के उपरान्त रिजेक्ट करना चाहिए था। संस्था का यह कथन कि उसे आन लाइन फार्म में किसी संशोधन की कोई व्यवस्था नही थी मान्य नही है। संस्था को आवेदन पत्र में गलत रूप से फ्री सीट भरने वाले अभ्यर्थियो के आवेदन पत्र रिजेक्ट करने की व्यवस्था थी छात्र द्वारा आवेदन में फ्री सीट दर्शाने के बावजूद उन्हें शिक्षा विभाग के लागिन आई0डी0 पर अग्रसारित करने का एक मात्र उददेश्य छात्रवृत्ति धनराशि वरीयता क्रम का उल्लंघन कर प्राप्त करना था। जाँच समिति ने सत्यापनोपरान्त यह पाया कि शिक्षण संस्थान द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ को भेजे गये अपने जिन पत्रांको-यू.-77/एस.बी.एस.यू./2014/4047, दिनांक-09.05.2014 एवं पत्रांक-यू0-77/एस.बी.एस.यू./2014/4201, दिनांक-23.05.2014 का उल्लेख करते हुये यह दावा किया गया है कि उनके द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण स्वयं किया जाता है। उक्त दोनो पत्र दिनांक-09.05.2014 एवं दिनांक-23.05.2014 को शिक्षण संस्था द्वारा प्रेषित किये गये है जबकि शिक्षण संस्था के उपर गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर अनियमित तरीके से शुल्क की धनराशि प्राप्त करने का जो आरोप अधिरोपित किया गया है वह वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 से सम्बन्धित है। जाँच दल द्वारा शिक्षण संस्थान के पदाधिकारियों से इस विषय में पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जा सका जिससे स्पष्ट है कि संस्थान द्वारा जान-बूझकर अपनी संस्था को नियमानुसार श्रेणी 'च' के अन्तर्गत पंजीकृत न कर वरीयता श्रेणी 'ग', 'घ' के अन्तर्गत कपटपूर्ण तरीके से अंकित कराया गया। शिक्षण संस्थान द्वारा जाँच दल के समक्ष जो लागिन स्क्रीन सीट प्रस्तुत की गयी वह वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की न हो कर वर्ष 2015-16 की थी इस प्रकार संस्था द्वारा कपट पूर्ण ढंग से अपने को सही साबित करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का मास्टर डाटा स्क्रीन शाट के 'अन्य' के आप्सन में अंकित किया जाना था किन्तु संस्थान द्वारा ऐसा नही किया गया। अतएव उक्त से स्पष्ट है कि शिक्षण संस्थान द्वारा जान-बूझकर इस तथ्य को छिपाते हुये कि वह 'च' श्रेणी के अन्तर्गत आती है, नियम विरूद्ध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने को श्रेणी 'ग/घ' के अन्तर्गत मास्टर डाटा में पंजीकरण कराया गया एवं छात्रों के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सम्बन्धी आवेदन पत्र को फ्री/पेड सीट में भरवाकर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि कपटपूर्ण तरीके से अनियमित रूप से प्राप्त की गयी।

आरोप संख्या-2 के सम्बन्ध में सत्यापन आख्या

(i)-श्री मनोज कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल, अनुसूचित जाति छात्र के सत्यापन में शिक्षण संस्थान का यह कथन सही पाया गया कि उक्त छात्र शैक्षणिक सत्र 2011-12 में बी0एससी0 नर्सिंग प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था तथा छात्र का आवेदन पत्र वर्ष 2012-13 में बी.एस.सी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष के स्थान पर त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रथम वर्ष अंकित कर दिया गया था किन्तु संस्था का यह कथन सत्य नही पाया गया कि समाज कल्याण विभाग के मास्टर डाटा बेस में बी0एस0सी0 नर्सिंग के स्थान पर बी0एस0सी0 (बायोटेक्नालाजी) अंकित था। श्री मनोज कुमार के ओ0बी0सी0 शाखा सुभारती विश्वविद्यालय में खुले बैंक खाता संख्या-52282121013739 में वर्ष 2011-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12 में छात्रवृत्ति मद में रूपया-2700/- वित्तीय वर्ष 2012-13 में रूपया-24000/-, वर्ष 2013-14 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति मद में रूपया-80860/- जो संस्था द्वारा मांग की धनराशि के अनुसार विभाग द्वारा स्थानान्तरित किया गया। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-24000/- छात्र के खाते में अन्तरित हुयी थी। वर्ष 2013-14 में रूपया-80860/- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की गयी जो कि निर्धारित फीस से अधिक थी। संस्थान द्वारा छात्र की शुल्क प्रतिपूर्ति के साथ उसकी छात्रवृत्ति भी स्वयं के खाते में डेबिट बाउचर्स के माध्यम से प्राप्त की गयी जो कि वित्तीय अनियिमतता है।

(ii)-.श्री सचिन त्यागी की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सत्यापनोपरान्त यह पाया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में उक्त संस्थान में एम0बी0ए0 प्रथम वर्ष में सामान्य जाति के छात्र के रूप में प्रवेश लिया गया तथा उसका डाटा विश्वविद्यालय द्वारा एक ही बार अग्रसारित किया गया किन्तु कतिपय तकनीकी कारणों से उक्त छात्र का डाटा दो बार साफ्टवेयर पर एक्सेप्ट किया गया था। इसमें संस्थान के स्तर से त्रुटि नहीं हुयी थी, किन्तु एक तथ्य यह भी प्रकाश में आया कि उक्त छात्र के विश्वविद्यालय में खुले खाता संख्या-0388212101 1830 में वर्ष 2011-12 में छात्रवृत्ति मद में रूपया-2310/- एवं शुल्कप्रतिपूर्ति मद में रूपया-25,000/- का भुगतान किया गया था। हाईस्कूल ट्रैकिग रोल नं0 के आधार पर ट्रेस करने पर यह पुष्टि हुयी कि वही छात्र उसी शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में एक अन्य दूसरी शिक्षण संस्था फोर्ड इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, मेरठ में एम0बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया गया तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति हेत आवेदन किया गया, जिसको संस्था द्वारा अग्रसारित किये जाने पर छात्रवृत्ति मद में रूपया-3300/- एवं शुल्कप्रतिपूर्ति मद में रूपया-25,000/- का भुगतान किया गया। छात्र द्वारा वर्ष 2012-13 में स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति का आवेदन किया गया, परन्तु विभाग द्वारा धनराशि स्थानान्तरित नहीं की गयी। शिक्षण संस्थान का यह कहना है कि उपरोक्त छात्र के डाटा की डबल इंट्री की सूचना उनके द्वारा समाज कल्याण विभाग को दिनांक-24.11.2012 को दी गयी थी, किन्तु सत्यापन के समय साक्ष्य मांगे जाने पर संस्था द्वारा कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

(iii)-.कु0 अरनिका रावत पुत्री श्री शमसेर सिंह रावत जाति-सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति के सत्यापन में यह पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त छात्रा का डाटा एक ही बार अग्रेसित किया गया था। साफ्टवेयर में त्रुटि के कारण डाटा की डबल इंट्री प्रदर्शित हुयी, किन्तु छात्रा के खाता संख्या-52282121010868 में वर्ष 2011-12 की छात्रवृत्ति रूपया-2970/- का एक ही बार भुगतान हुआ था।

(iv)-.कु0 शोभा यादव पुत्री श्री हरिप्रसाद यादव, जाति-अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति के सत्यापन के सम्बन्ध में यह पाया गया कि छात्रा द्वारा वर्ष 2009-10 में जी0एन0एम0 प्रथम वर्ष में एडमीशन लिया गया। उक्त छात्रा का डाटा प्रेषित करते समय जी0एन0एम0 कोर्स के साथ-साथ डी0एम0आर0टी0 प्रथम वर्ष के रूप में भी अध्ययनरत् दर्शाते हुये शिक्षण संस्थान द्वारा डाटा अग्रसारित किया गया। यद्यपि पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा उक्त छात्रा को वर्ष 2009-10 की छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया, किन्तु शिक्षण संस्थान द्वारा दुराग्रहपूर्ण रूप से छात्रा का डाटा दो-दो पाठ्यक्रमों में दर्शाते हुये प्रेषित किया जाना सही पाया गया।

(v)-.कु0 पूनम बालियान पुत्री श्री सत्येन्द्र कुमार, जाति-अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति के सत्यापन में यह पुष्टि हुयी कि शिक्षण संस्थान के स्तर से सम्बन्धित छात्रा का छात्रवृत्ति सम्बन्धी आवेदन पत्र वर्ष 2009-10 बी0फार्मा प्रथम वर्ष के रूप में तथा उसी शैक्षिक सत्र में ओ0टी0टी0 प्रथम वर्ष में दर्शाते हुये संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु डाटा अग्रेसित किया गया, जिसके लिये शिक्षण संस्थान दोषी है।

(vi)-.रोहित गोस्वामी पुत्र श्री एम0 गोस्वामी, जाति-अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति के सत्यापन के सम्बन्ध में यह पुष्टि हुयी कि छात्र द्वारा शिक्षण संस्थान में वर्ष 2008-09 में एम0बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था तथा छात्रवृत्ति के रूप में रूपया-3300/- प्राप्त भी की गयी थी जबकि शिक्षण संस्थान ने अपने जवाब में यह इंगित किया था कि श्री रोहित गोस्वामी उनके संस्थान में वर्ष 2009-10 में एम0बी0ए0 प्रथम वर्ष का छात्र रहा है। सत्यापन में यह पुष्टि हुयी कि छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति के आवेदन पत्र शैक्षिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सत्र 2009-10 से अलग-अलग लिये जाते थे। परन्तु छात्र का हाईस्कूल ट्रैकिंग विवरण में एक बार ही विवरण अंकित है। अतः शिक्षण संस्थान का यह कथन कि छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति के आवेदन पत्रों की पृथक-पृथक प्रविष्टि होने के कारण यह सम्भव हुआ हो कि डाटाबेस में फीडिंग दो बार हो गयी है, स्वीकार नहीं है। यह भी पुष्टि हुयी कि सम्बन्धित छात्र द्वारा वर्ष 2009-10 में एक ही बार छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया परन्तु छात्र के ओ0बी0सी0 शाखा, सुभारती विश्वविद्यालय में खुले बैंक खाता संख्या-52282121012129 में वर्ष 2008-09 में छात्रवृत्ति मद में दिनांक-29.05.2009 को रूपया-3300/-, वर्ष 2009-10 में दिनांक-21.09.2009, 02.03.2010 एवं दिनांक-23.03.2010 को क्रमशः रूपया-1650/-, रूपया-1650/- एवं रूपया-1650/- का भुगतान हुआ, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि शिक्षण संस्था के स्तर से डाटा फारवर्ड में लापरवाही/उदासीनता बरती गयी।

6- प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अपीलीय फोरम की दिनांक-11.04.2016 को पुनः बैठक आहूत करते हुये शिक्षण संस्था को पत्र दिनांक-22.04.2016 द्वारा सूचना दी गयी थी। अपीलीय फोरम की बैठक में सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ डा0 पी0के0 शर्मा एवं डा0 आर0पी0 सिंह, प्रोफेसर सुभारती विश्वविद्यालय सुनवाई में उपस्थित हुये। विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियें द्वारा प्रकरण में पूर्व में अपीलीय फोरम की आहूत बैठक में उनके प्रतिनिधियों द्वारा कहे गये कथन/उत्तर पर सहमति देते हुये जाने-अनजाने में यदि कोई त्रुटि विश्वविद्यालय के स्तर से हुयी हो तो उस पर खेद व्यक्त किया गया।

7- अतएव प्रकरण के सम्बन्ध में अपीलीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों/साक्ष्यों के सम्यक् अनुशीलन में यह पाया गया कि याची शिक्षण संस्थान का कथन/दावा पूरी तरह से सत्य नहीं है। निजी क्षेत्र में स्थापित उक्त शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति नियमावली-2012 में निर्धारित वरीयता श्रेणी-'च' में न दर्शाकर अनुचित लाभ पाने हेतु वर्ष 2013-14 में शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं का डाटा छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु वरीयता श्रेणी-'ग/घ' (फ्रीशीट/पेडशीट) में दर्शाते हुये डाटा को अग्रसारित किया गया तथा कतिपय छात्रों को एक ही शैक्षिक सत्र में एक से अधिक पाठ्यक्रमों में दो से तीन बार दर्शाते हुये डाटा फारवर्ड कर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति अनुचित रूप से प्राप्त की गयी है।

अतएव उक्त विवेचन के उपरांत अपीलीय फोरम सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश दिनांक-10.08.2015 द्वारा याची शिक्षण संस्थान (स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ) को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अनियमितता बरतने के आरोप में किया गया ब्लैक लिस्ट सम्बन्धी निर्णय उचित एवं नियमानुसार है। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं है। तद्नुसार याची शिक्षण संस्थान की अपील/प्रत्यावेदन दिनांक-17.08.2015 एवं दिनांक-09.11.2015 को उपरोक्तानुसार एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

श्री पी0के0 त्रिपाठी उपनिदेशक, समाज कल्याण मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ	आर0एच0 खान निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य योजना इकाई, उ0प्र0 लखनऊ	सुरेश चन्द्र उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	श्री के0के0 चैधरी रजिस्ट्रार, यू0पी0टी0यू0, लखनऊ।
श्री जय प्रकाश पाण्डेय संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।	बी0बी0 सिंह विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	पुष्पा सिंह विशेष सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 शासन।	सुनील कुमार प्रमुख सचिव/अध्यक्ष अपीलीय फोरम, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-101 /2016/आर-1354(1)/26-3-2016 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा एवं कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निदेशक, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा एवं कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- कुल सचिव, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम आजाद तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ (पूर्व नाम यू0पी0टी0यू0)

4- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य योजना इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

5- कुल सचिव, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ।

6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ।

7- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।